



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2004/फाल्गुन 8, 1925

No. 213]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2004/PHALGUNA 8, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2004

का.आ. 270(अ).— केन्द्र सरकार चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश का नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2004 है।
- (2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

3. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे एतदपश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के पैराग्राफ 27 के उप-पैराग्राफ 1 में "बोर्ड के किसी अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "सहायक विकास आयुक्त अथवा निरीक्षक के रैंक से कम नहीं" शब्द जोड़े जाएंगे।

4. उक्त आदेश में पैराग्राफ 27 में उप-पैराग्राफ (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"(3) तलाशी एवं जब्ती के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी :—

(क) इस प्रकार के स्थान पर निवास करने वाला अथवा प्रभारी कोई व्यक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा पंजीयक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार को प्रस्तुत करने पर विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को इसमें मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा और उसमें तलाशी लेने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

(ख) तलाशी लेने से पूर्व इस प्रकार से प्राधिकृत अधिकारी उस इलाके के जिसमें तलाशी लिये जाने वाला स्थान अवस्थित है अथवा यदि उक्त इलाके का ऐसा कोई निवासी उपलब्ध नहीं है तो किसी दूसरे इलाके के अथवा जो उक्त तलाशी के साक्षी बनने के इच्छुक हैं, दो या उससे अधिक स्वतंत्र और सम्माननीय निवासियों से उक्त तलाशी में उपस्थित होने तथा उसका साक्षी बनने का अनुरोध करेगा।

(ग) उनकी उपस्थिति में उक्त तलाशी ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रकार की तलाशी प्रक्रिया में जब्त किए गए चाय के सभी उत्पाद अथवा उससे संबंधित मदों और उन स्थानों जिनमें वे बरामद हुए हैं, की एक सूची तैयार की जाएगी और साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किन्तु इस पैराग्राफ के तहत तलाशी में साक्षी किसी व्यक्ति को तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे विशेषरूप से बुलाया न जाए।

(च) तलाशी लिए गए स्थान को अधिभोगी अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति को प्रत्येक मामले में तलाशी के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी और तैयार की गयी और उस पर उक्त साक्षियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति इस प्रकार के अधिभोगी अथवा व्यक्ति को सौंपी जाएगी।”

5. उक्त आदेश में पैराग्राफ 30 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“30 कीमत भागीदारी फार्मूला का निर्धारण एवं इसका अनुपालन :—

(1) हरी चाय पत्तियों की खरीद में संलग्न प्रत्येक पंजीकृत विनिर्माता समय-समय पर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त पंजीयन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित ढंग से कार्यान्वित कीमत भागीदारी फार्मूले के अनुसार हरी चाय पत्ती के आपूर्तिकर्ता को एक उचित कीमत का भुगतान करेगा।

उक्त प्रयोजनार्थ कीमत भागीदारी फार्मूले के अनुसार हरी चाय पत्ती के आपूर्तिकर्ता को संदेय चाय पत्तियों की उचित कीमत का निर्धारण पंजीकृत विनिर्माता द्वारा प्राप्त बिक्री आय को हिसाब में लेकर लिया जाएगा।

(2) पंजीयन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का ऐसा कोई अधिकारी जो पंजीयन प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, संयुक्त लाइसेंसिंग नियंत्रक के रैंक से कम न हो, जिसे किसी ऐसे दलाल, जिसके जरिए उक्त विनिर्माता ने किसी निर्मित चाय की बिक्री की है, को कीमत भागीदारी फार्मूला के अनुसार यथा निर्धारित चाय पत्तियों की उचित कीमत और उसके द्वारा क्रीत चाय पत्तियों के लिए इस प्रकार के विनिर्माता द्वारा भुगतान की गयी वास्तविक कीमत के बीच के अंतर के बराबर राशि को इस प्रकार की बिक्री आय में से घटाने का निर्देश दे सकता है।

(3) पंजीयन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का ऐसा कोई अधिकारी जो संयुक्त लाइसेंसिंग नियंत्रक के रैंक से कम न हो, जिसे पंजीयन प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, किसी ऐसे दलाल, जिसके जरिए उक्त विनिर्माता ने किसी निर्मित चाय की बिक्री की है और उसने कीमत भागीदारी फार्मूला के अनुसार यथानिर्धारित चाय पत्तियों की उचित कीमत का भुगतान करने में विलम्ब किया है, को इस प्रकार की चाय पत्तियों के लिए इस प्रकार से निर्धारित उचित कीमत के बराबर राशि को इस प्रकार की बिक्री आय में से घटाने का निर्देश दे सकता है।

(4) पंजीयन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का ऐसा कोई अधिकारी जो संयुक्त लाइसेंसिंग नियंत्रक के रैंक से कम हो, जिसे पंजीयन प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो किसी दलाल को यथा विनिर्दिष्ट ढंग से एवं यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति को उप-पैराग्राफ (2) एवं (3) के अंतर्गत इस प्रकार से घटाई गयी राशि को प्रतिप्रेषित करने का निर्देश दे सकता है।

(5) पंजीयन प्राधिकारी अथवा बोर्ड का ऐसा कोई अधिकारी जो संयुक्त लाइसेंसिंग नियंत्रक के रैंक से कम न हो, जिसे पंजीयन प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, उप-पैराग्राफ (1), (2), (3) एवं (4) के अनुसार चाय पत्तियों की उचित कीमत के भुगतान के अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगा।”

6. उपरोक्त आदेश में फार्म-ई में क्रमांक 25 में “बिक्री की गयी मात्रा का महायोग (क+ख+ग)” शब्दों एवं अक्षरों के स्थान पर “बिक्री की गयी मात्रा का महायोग (क+ख+ग) और रुपए में प्रति कि.ग्रा. चाय की प्राप्त की गयी औसत कीमत (क+ख+ग)” शब्द एवं अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. टी-12014/2/2003-बागान(क)]

ए. सेनगुप्त, अपर सचिव

पाद टिप्पणी :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में 1 जनवरी, 2003 को सं. का.आ. 1(अ) द्वारा प्रकाशित की गयी थी और बाद में 28 फरवरी, 2003 के सं. का.आ. 247(अ) और दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के सं. का.आ. 430(अ) द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 27th February, 2004

S.O. 270 (E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) and Sub-section (5) of Section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely :—

2. (1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2004.
- (2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
3. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003 (hereinafter referred to as the said order), in paragraph 27, in sub-paragraph 1, after the words “any Officer of the Board”, the words “not below the rank of Assistant Development Officer or Inspector” shall be inserted.
4. In the said Order, in paragraph 27, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

“(3) The following procedure shall be adopted relating to search and seizure—

- (a) Any person residing in or being in charge of such place shall allow the duly authorised officer on production of the authority issued by the Licensing Authority or Registering Authority, free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.
- (b) Before making a search, such authorised officer shall call upon two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situated or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness to the search, to attend and witness the search.
- (c) The search shall be made in their presence, and a list of all the products of tea or related items seized in the course of such search and of the places in which they are found shall be prepared by the authorised officer and signed by such witnesses; but no person witnessing a search under this paragraph shall be required to attend the Court as a witness of the search unless specially summoned by it.
- (d) The occupant of the place searched, or some person in his behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared and duly signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person.”

5. In the said order, for paragraph 30, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“30. Fixation of price sharing formula and its compliance:—

(1) Every registered manufacturer engages in purchase of green tea leaves shall pay to the supplier of green leaf a reasonable price according to the price sharing formula as may be specified by the Registering Authority from time to time and implemented in a manner as determined by the Registering Authority, with the prior approval of the Central Government.

For the said purpose, the reasonable price for tea leaves payable to the supplier of green leaf according to the price sharing formula shall be determined taking into account the sale proceeds received by the registered manufacturer.

(2) Registering Authority or any officer of the Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing, authorised by the Registering Authority in writing, may direct any broker, through whom the manufacturer has sold any made tea, to deduct from the proceeds of such sale an amount equivalent to the difference between the reasonable price of tea leaves as determined in terms of the price sharing formula and the actual price paid by such manufacturer for the tea leaves bought by him.

(3) Registering Authority or any officer of the Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing, authorised by the Registering Authority in writing, may direct any broker, through whom the manufacturer has sold any made tea and has delayed the payment of the reasonable price for tea leaves as determined in terms of the price sharing formula, to deduct from the sale proceeds of such sale an amount equivalent to the reasonable price so determined for such tea leaves.

(4) Registering Authority or any officer of the Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing, authorised by the Registering Authority in writing, may direct any broker to remit the sum so deducted under sub-paragraphs (2) and (3) in a manner and to the person as may be specified.

(5) The Registering Authority or any officer of the Board, not below the rank of Joint Controller of Licensing, authorised by the Registering Authority in writing, may also ensure the compliance of the payment of reasonable price for tea leaves as per sub-paragraphs (1), (2), (3) and (4).”

6. In the said Order, in Form-E, in serial number 25, for the words and letters “GRAND TOTAL OF QUANTITY SOLD (A+B+C):” the words and letters, “GRANDE TOTAL OF QUANTITY SOLD (A+B+C): AND THE AVERAGE PRICE REALISED IN RUPEES PER KG OF TEA (A+B+C):” shall be substituted.

[F. No. T-12014/2/2003-Plant (A)]

A. SENGUPTA, Adl. Secy.

Foot Note:— The principal notification was published *vide* S.O. No. 1 (E) dated the 1st January, 2003 in the Gazetted of India, Extraordinary and subsequently amended *vide* S.O. No. 247(E) dated the 28th February, 2003 and S.O. No. 430(E) dated 10th April 2003.